न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, अम्बेडकर नगर

सरकार बनाम जवाहिर उर्फ उमेश यादव आदि
एस.टी. वाद संख्याः–105 / 2020, कं0सं0–332 / 2020
अपराध संख्याः–195 / 2020
थानाः–राजेसुल्तानपुर
जनपद–अम्बेडकर नगर

दिनांकः–12.02.2026

पत्रावली अभियुक्त अभियुक्त संदीप यादव की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 63ब अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0 पर आदेशार्थ नियत है। उभय पक्ष को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी / अभियुक्त संदीप यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं0 63ब अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त प्रकरण में पूरी तरह निर्दोष व निरपराध है तथा वादी मुकदमा द्वारा उपरोक्त प्रकरण में गलत तथ्यों के आधार पर उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त बनाया गया है। वाद विवेचना पुलिस द्वारा अभियुक्त जवाहिर यादव, सुनील यादव व केदार यादव के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा शेष अभियुक्तगण की संलिप्तता उक्त अपराध में नहीं पायी गयी। प्रार्थी को न्यायालय ने वादी मुकदमा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनाय पत्र 319 सी0आर0पी0सी0 के आधार पर दिनांकः 19.06.2024 को तलब किया गया है। प्रार्थी जमानत पर है। वादी मुकदमा के द्वारा दर्ज कराये गये प्रथम सूचना रिपोर्ट व वाद के समक्ष परीक्षत साक्षी वरूण दूबे, आलोक त्रिपाठी व श्रीकेश मौर्य के बयान से स्पष्ट है कि प्रार्थी के द्वारा आग्नेयस्त्र से किसी प्रकार का कोई हमला नहीं किया गया है, मात्र लाठी डण्डा से मारने की बात बतायी गयी है। जिससे प्रार्थी के विरूद्ध धारा–307 सी0आर0पी0सी0 का अपराध / आरोप नहीं बनता है। सत्य यह है कि कथित घटना के पूर्व से प्रार्थी डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक वि0 विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ से कम्प्यूटर सांइस एण्ड इंजीनियरिंग की पढाई कर रहा था तथा उसी पढाई के दौरान दिनांकः 01.03.2020 से 30.06.2020 तक एण्ड्रावड डेवलेपर की ट्रेनिंग मि0 आशुतोष सिंह की अभिरक्षा में लखनऊ में कर रहा था। ऐसी दशा में कथित घटना स्थल पर व समय पर प्रार्थी का उक्त अपराध में शामिल होकर अपराध करना कत्तई सम्भाव्य नहीं है, साथ ही साथ प्रार्थी पर अधिरोपित अपराध का गठन नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं कारित की गयी है न ही प्रार्थी के ऊपर घटना कारित करने का कोई हेतुक ही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। पर्चा नं0–17 के बयान चश्मदीद साक्षीगण विजय बहादुर पुत्र सतिराम, पल्टू पुत्र लहुरी, उमापति पुत्र बनवारी, श्याम मनु पुत्र फिरतू के बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त साक्षीगण घटना स्थल के साक्षी है, पुरानी

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.02.12 16:57:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रंजिश को लेकर मार पीट हुई थी, कथित घटना के समय राकेश यादव व संजय, रामकुमार, संदीप, मौके पर मौजूद नहीं थे, इस प्रकार प्रार्थी संदीप के विरूद्ध 323,506,307 आई0पी0सी0 का अपराध/आरोप नहीं बनता है। पर्चा सं0–2 में बयान चश्मदीद साक्षी आलोक तिवारी के बयान से स्पष्ट है कि जवाहिर यादव द्वारा कट्टे से गोली चलाने तथा सभी विपक्षीगण लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे तथा न्यायालय पर मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण संदीप, संजय, राकेश, सुनील, राजकुमार, जवाहिर व केदार को लाठी डण्डा लेकर आना व वरूण दूबे को मारना पीटना बताया गया है। वही शिकायतकर्ता वरूण दूबे द्वारा न्यायालय पर मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण का एक राय व गोलबन्द होकर आना बताया गया है, वही न्यायालय पर मुख्य परीक्षा में साक्षी केश मौर्य द्वारा अभियुक्तगण जवाहिर, राकेश, सुनील, केदार, संदीप व संजय व राजकुमार द्वारा लाठी डण्डा से मारना पीटना बताया गया है जो स्वयं में आपस में विरोधाभाषी है तथाकथित घटना में संदेह उत्पन्न करते है। इस प्रकार चश्मदीद साक्षियों के बयान में कथित घटना में संदेह के घेरे के अन्तर्गत की है तथा प्रार्थी संदीप के विरूद्ध धारा–323,506,307 आई0पी0सी0 का आरोप का गठन नहीं होता है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी संदीप को धारा–323,506,307 आई0पी0सी0 के आरोप से उन्मोचित करने की कृपा की जाय।

अभियोजन की ओर से लिखित आपत्ति कागज सं0–65ब प्रस्तुत कर तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट में संदीप यादव नामित अभियुक्त है। कथित घटना दिनांकः 14.05.2020 की सायं लगभग 6 बजे की कही जाती है। जिसकी रिपोर्ट दिनांकः 15.05.2020 को 12:15 बजे दर्ज की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी अभियुक्त संदीप यादव द्वारा अन्य अभियुक्तगणों के साथ मिलकर घटना कारित करने का कथन किया गया है। न्यायालय के समक्ष परीक्षित साक्षियों ने भी संदीप यादव द्वारा कथित घटना को कारित करने का कथन किया है, जिसके आधार पर न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा अभियुक्त संदीप को दिनांकः 19.06.2024 को संबंधित धाराओं में 319 जा0फौ0 के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए तलब किया गया। जिसके विरूद्ध संदीप यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में याचिका प्रस्तुत किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा संदीप यादव को जमानत कराने हेतु आदेशित किया गया। अभियुक्त संदीप यादव द्वारा अपने डिस्चार्ज के प्रार्थना पत्र की धारा–7 में कथित घटना के समय अन्यत्र रहने का कथन किया है किन्तु उसके संबंध में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र के साथ कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। कथित घटना के समय सम्पूर्ण भारत में कोविड–19 के कारण लाक डाउन था, जिस कारण सभी शैक्षणिक संस्थान भी बन्द थे। अभियुक्त द्वारा डिस्चार्ज के पैरा 7 में उस दौरान लखनऊ में रहने का कथन किया गया है तथा पुलिस द्व ारा रिकार्ड किये गये बयान में उसने स्वयं को उस समय कानपुर में रहने का कथन किया, जिसका समर्थन शपथपत्र के साक्षियों ने किया, जो अभियुक्त के कथानक में स्वयं संदेह उत्पन्न करता है। अभियुक्त संदीप यादव द्वारा कथित घटना के समय अन्य अभियुक्तगणों के साथ उपस्थित होकर घटना कारित किया है, जिसका साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। अभियुक्त

संदीप यादव को प्रार्थना पत्र 227 दं0प्र0सं0 केवल मुकदमे को लम्बित करने व वादी मुकदमा को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। उचित न्यायहित में अभियुक्त संदीप यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 227 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना है कि अभियुक्त संदीप यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–227 जा0फौ0 दिनांकितः 03.01.2025 को निरस्त करने की कृपा की जाये। तद्नुसार विपक्षी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गई।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं0 पर सुनवायी के उपरांत न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.06.2024 द्वारा प्रार्थना पत्र 40ब स्वीकार करते हुये विपक्षीगण राज कुमार, राकेश यादव, संजय यादव व संदीप यादव को अन्तर्गत धारा–307,323,506 भा0दं0सं0 के तहत विचारण हेतु तलब किया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि, प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्य अभियुक्तगण के साथ विपक्षी/अभियुक्त संदीप यादव को भी नामित किया गया है तथा अभियोजन द्वारा पत्रावली पर अभी तक तीन साक्षीगण को परीक्षित कराया जा चुका है। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 1 वरूण कुमार दूबे द्वारा अपनी मुख्यपृच्छा में अभियुक्तगण जवाहिर यादव, राजकुमार यादव, सुनील यादव, राकेश यादव, संदीप यादव, केदार यादव, संजय यादव द्वारा एक राय होकर गोलबन्द होकर मारने पीटने व घटना कारित किये जाने का कथन किया गया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 2 श्रीकेश मौर्य द्वारा भी अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया है कि–जवाहिर, राकेश, सुनील, केदार, संदीप, संजय, राजकुमार ने मिलकर वरूण दूबे को अपने हाथ में लिए लाठी डण्डो से मारने पीटने लगे। वरूण दूबे जान बचाकर भागे, उसी समय मुल्जिम जवाहिर अपने हाथ में लिए कट्टे से जान से मारने की नियत से वरूण दूबे के ऊपर फायर कर दिया, जो उनके कंधे पर लगी, वरूण दूबे गिर पडे तो उपरोक्त सभी मुल्जिमान अपने हाथ में लिए लाठी डण्डों से मारने लगे। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 3 आलोक कुमार त्रिपाठी द्वारा भी अपने मुख्यपृच्छा साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा घटना में अन्य अभियुक्तगण के साथ संदीप यादव द्वारा भी घटना कारित किये जाने का कथन किया है।

न्यायालय को इस स्तर पर यह नहीं देखना है कि दिए गए साक्ष्यों से अभियुक्त दोषसिद्ध होगा या दोषमुक्त होगा, अपितु मात्र यह देखा जाना है कि अभियोग को प्रचलित किये जाने के उद्देश्य से अभियुक्त पर आरोप हेतु पर्याप्त साक्ष्य है या नहीं। जैसा कि **''स्टेट ऑफ बिहार बनाम रमेश सिंह, ए.आई.आर 1977 एससी 2018** एवं **''सुप्रिटेंडेंट एण्ड रिमेम्ब्रेन्सर ऑफ लीगल अफेयर्स, वेस्ट बंगाल बनाम अनिल कुमार भुंजा'' ए.आई.आर 1980 एससी पृष्ठ 52** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णयज विधियों में दिये गये अभिमत अनुसार प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री से अपराध कारित होने

के प्रति उत्पन्न बहुत गम्भीर संदेह के आधार पर भी आरोप विरचन हेतु प्रक्रिया प्रचलित हो सकती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जोगेन्द्र यादव व अन्य बनाम बिहार राज्य व एक अन्य, दाण्डिक अपील सं0–343/2012, 2015 ए0एल0एल0 एम0आर0(कि0) 3707 (एस0सी0)** के मामले में सम्प्रेक्षित निर्णयज विधि के अनुसार यदि किसी अतिरिक्त अभियुक्त को धारा–319 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है तो उसे धारा–227 दं0प्र0सं0 के तहत उन्मोचन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन, विश्लेषण एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोग साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आक्षेपित अभियोग में आरोप विरचन हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0 पत्र स्वीकृत होने योग्य नहीं हैं, बल्कि निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त संदीप यादव की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता हैं।

अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु समन जारी हो। पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 26.02.2026 को पेश हो।

दिनांकः–12.02.2026

(राम विलास सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–1, अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0 कोड–यू.पी.6067